सत्यमेव जयते

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री हनुमानराम चौधरी, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 04/2020 दायर दिनाँक 24.07.2020

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
1. तहसीलदार डीडवाना जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. जमील अहमद पुत्र लोडू खां वगैराह जाति शेरानी निवासी शेरानी आबाद, तहसील डीडवाना जिला नागौर, राज0।

प्रार्थना पत्र बाबत्
चालू स्थाई सार्वजनिक रास्तों का रेकर्ड में अंकन बाबत
राजस्थान भू—अभिलेख नियम 1957 के नियम— 58, 59, 60, 66, 86
अन्तर्गत धारा 131, 132 L.R.Act.

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 12.04.2021

प्रार्थना पत्र के संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार है कि उपरोक्त प्रकरण में न्यायालय श्रीमान के समक्ष तहसीलदार डीडवाना द्वारा दिनांक 14.02.2017 को चालु स्थाई सार्वजनिक रास्ते का रिकार्ड में अंकन बाबत धारा 131, 132 एल0आर0एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि खेत खसरा सं0 317 रकबा 18 बीघा 07 बिस्वा भूमि सरहद शेरानी आबाद में अवस्थित है तथा यह खेत शेरानी आबाद से केशनी नाडी जाने वाले रास्ते पर अवस्थित है।

प्रार्थी के खेत खसरा सं0 317 के उत्तरी पश्चिमी सींव से होता हुआ खसरा सं0 316 में घुसकर 316 की पश्चिमी सींव के पास—पास मौजुद रहा है तथा उक्त रास्ते पर मुरड वगैराह डाली हुई है तथा उक्त रास्ता पीढियों से सदैवसे रास्ताआने जाने का मौजुद रहाहै तथा वर्तमान में भी मौजुद है, परन्तु हल्का पटवारी शेरानी आबाद ने खेत खसरा सं0 316 की पश्चिमी सींव के पास मौके पर अवस्थित था को जानबुझकर नहीं दर्शाया तथा उक्त रास्ते को गलत रूप से प्रार्थी की खेत की पूर्वी सींव पर होकर दर्शाया है। खेत खसरा सं0 317 की पूर्वी सींव पर कभी भी रास्ता मौके पर नहीं रहा है तथा न ही वर्तमान में भी उक्त रास्ता सींव पर मौजुद है।

शेरानी आबाद के नजरी नक्शा में दर्शित रास्ता जो मौके पर कभी नहीं रहा है तथायह रास्ता खसरा सं0 316 की पश्चिमी सींव के पास—पास रहा है। जिससे उक्त रास्ता को मौके पर कायम किया जाना न्याय संगत नहीं हैं जिसमें उक्त रास्ता तरमीम आदेश दिनांक 03.03.2017 की आड में जो रास्ताप्रार्थी के खेत ख0नं0 317 की पूर्वी सींव पर तकमील किया गया है को निरस्त किया जाकर खसरा नं0 316 की पश्चिमी सींव—सींव जो वर्तमानमें चालु है को कायम/तरमीम किया जाना न्याय संगत है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि खेत खसरा सं0 1534/317 सरहद शेरानी आबाद में पटवारी हल्का शेरानी आबाद के द्वारा नजरी नक्शा में दर्शित रास्ता जो गलत दर्शित किया गया है का

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with CamScanner

निरस्त फरमाया जावें तथा वर्तमान में मौके पर कायम रास्ता जो कायम/तरमीम किये जाने के आदेश पारित फरमाने की कृपा करावें।

प्रकरण में तहसीलदार डीडवाना से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक राजस्व/20/5004 दिनांक 16.10.2020 के द्वारा रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार मौके पर बनाये गये नजरी नक्शा अनुसार मार्क ए से बीप र वर्तमान में मौके पर रास्ता चालू है एव बी से डी गै0मु0 रास्ता वर्तमान में चालू है और एफ से ई रिकार्ड में दर्ज है परन्तु वर्तमान में रास्ता चालू नहीं है। जिसका रकबा 0.06 बीघा बनता है, जो खसरा सं0 1534/1317 में से कम किया जाना उचित है एवं मौके पर खसरा सं0 1536/316 में से भी रकबा 0.06 बीघा कम किया जाकर गै0मु0 रास्ते में परिवर्तन किया जा सकता है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। तर्को पर मनन करने व रेकर्ड के अवलोकनोपरान्त प्रार्थी का प्रार्थीना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार खसरा सं0 1536/316 में से मार्क ए से बी रकबा 0.06 बीघा रास्ता घोषित किया जाता है तथा खसरा सं0 1536/316 में से रकबा 0.06 बीघा कम किया जाता है। इसी अनुरूप खसरा सं0 1534/317 में से रकबा 0.06 बीघा रास्ता हटाया जाकर पुनः खसरा सं0 1534/317 में रकबा 0.06 बीघा दर्ज किया जाता है। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट पत्रांक राजस्व/20/5004 दिनांक 16.10.2020 निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में तरमीम हों।

(हनुमानराम चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **12.04.2021** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(हनुमानराम चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned with CamScanner